तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं.:– 57/2022 बअनवान चुन्नीलाल बनाम माधुराम	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29-04-2024	पत्रावली पेश हुई। वक्त बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अपीलाण्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि सरहद मौजा देवनगर तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1172 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1770 एवं 1771/1 में से दक्षिण दिशा में माठ के सहारे सहारे रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2022 को आदेश पारित किया गया। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलाण्ट को होने पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष अपील पेश की गई जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.2022 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 04.07.2022 की पालना एवं प्रभाव को आगामी पेशी तक स्थगित किया गया, जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को व्यक्तिगत तौर पर दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को स्थगन की जानकारी होने के बावजूद भी मेलाफाईड इंटेशन से उसी दिन दिनांक 26.08.2022 अपीलाण्ट के विरूद्ध म्यूटेशन स्वीकृत कर दिया, जिससे उक्त म्यूटेशन निरस्त योग्य होने से उक्त अपील पेश की है। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा अपील संख्या 61/2022 चुन्नीलाल व अन्य बनाम माधुराम में पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है। अतः उक्त अपील को स्वीकृत फरमाते हुये म्यूटेशन आदेश दिनांक 26.08.2022 को निरस्त करावे।	

अति. जिला कलक्टर, पाली

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं गहनतापूर्वक मनन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए रा.का. अ. में पारित आदेश दिनांक 04.07.2022 की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा नामान्तकरण संख्या 380 दिनांक 26.08.2022 स्वीकृत किया गया। चूकि वर्तमान में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा अपील संख्या 61/2022 चुन्नीलाल व अन्य बनाम माधुराम में पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है। इसलिए उक्त अपील Infructuous होने से न्यायालय हाजा में चलाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त अपील Infructuous होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड निर्णय की सत्य प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अति जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलक्टर, पाली